




असम विश्वविद्यालय, सिलचर परिपत्र

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदनों के नौवे खण्ड में विज्ञापनों (Advertisement) पर की गई सिफारिशों पर महामहीम राष्ट्रपति जी का आदेश इस प्रकार है— "मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।"


अतः सभी संबंधित अधिकारियों से निवेदन है कि संबंधित प्रकाशन संस्थाओं को नियमानुसार विज्ञापन (Advertisement) प्रदान किया जाए।


संख्या: ५५५५५/आव.सौ./०५/२०१०/२३५५


कुलसचिव
दिनांक: 01.08.2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. सभी संकायाध्यक्ष, असम विश्वविद्यालय, सिलचर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष, असम विश्वविद्यालय, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद, असम विश्वविद्यालय, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. सभी विभागाध्यक्ष, असम विश्वविद्यालय, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. कुलानुशासक/ छात्र कल्याण प्रमुख, असम विश्वविद्यालय, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- ✓ 6. निदेशक, कंप्यूटर सेन्टर, निवेदन के साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने तथा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. सभी उप-कुलसचिव/उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/उप-निदेशक (खेल एवं शारीरिक शिक्षा), सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
8. सभी सहायक कुलसचिव/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/सूचना वैज्ञानिक/नेटवर्किंग, अभियंता/ चिकित्सा अधिकारी/सिस्टम विश्लेषक, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. सभी अनुभाग अधिकारी, असम विश्वविद्यालय, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. कुलपति के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
11. सभी प्रकाशन संस्थाओं को सूचनार्थ।
12. फाइल।


कुलसचिव

SA/NA

3/8/22